संख्या-62/2026/764/छप्पन-2026-34/1994टी0सी0-1

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2026

विषय: वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण हेतु 33 के0वी0 हरिहर कोल्ड स्टोरेज लाइन की शिफ्टिंग के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 108/ना0उ0नि0-2026/वाराणसी दिनांक 22 जुलाई, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या 277/सात-भू0सु0/2026 दिनांक 11 जून, 2026 के क्रम में वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण हेतु 33 के0वी0 हरिहर कोल्ड स्टोरेज लाइन की शिफ्टिंग हेतु रू0 3,03,79,220.00 (रूपए तीन करोड़ तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन हेतु आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या 277/सात-भू0सु0/2026 दिनांक 11 जून, 2026 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-हरहुआ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी के पत्र संख्या 3534 दिनांक 13.05.2026 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी के नए टर्मिनल भवन निर्माण एवं रनवे विस्तारीकरण में अवरोध उत्पन्न करने वाले 33 के0वी0 विद्युत लाइनों को बाउण्ड्रीवाल के पास शिफ्ट करने हेतु संयुक्त रूप से सर्वे कर प्राक्कलन निर्मित किया गया था, परन्तु रनवे विस्तारीकरण हेतु 33 के0वी0 हरिहर कोल्ड स्टोरेज लाइन शिफ्टिंग में बाउण्ड्रीवाल के पास आर0ओ0डब्यू0 की समस्या उत्पन्न होने के कारण अन्य मार्ग से अण्डर ग्राउण्ड निर्माण कर शिफ्ट करने हेतु संशोधन कर निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशि की मांग की गयी है:-

क्र0सं0	विवरण	पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन की धनराशि	संशोधित प्राक्कलन की धनराशि
1	2	3	4
1.	33 के0वी0 लाइन शिफ्टिंग का कार्य	1,62,45,323.00	4,66,24,543.00
2.	11 के0वी0 एच0टी0 लाइन, एल0टी0 लाइन एवं परिवर्तकों के शिफ्टिंग का कार्य	1,21,85,776.00	1,21,85,776.00
	कुल प्राक्कलित धनराशि	2,84,31,099.00	5,88,10,319.00
	पूर्व में जमा धनराशि		2,84,31,099.00
	अवशेष धनराशि		3,03,79,220.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अवगत कराया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी के नए टर्मिनल भवन एवं सम्बन्धी कार्यों के निर्माण में आ रही विद्युत तार, खम्भों को शीघ्र हटाने हेतु प्राक्कलन धनराशि रू0 2,84,31,099/- की धनराशि शासनादेश संख्या-103/2024/1863/छप्पन-2024-34/1994 टी0सी0-1 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा स्वीकृति की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-हरहुआ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी द्वारा रनवे विस्तारीकरण हेतु 33 के0वी0 हरिहर कोल्ड स्टोरेज लाइन शिफ्टिंग में बाउण्ड्रीवाल के पास आर0ओ0डब्यू0 की समस्या उत्पन्न होने के कारण अन्य मार्ग से अण्डर ग्राउण्ड निर्माण कर शिफ्ट करने हेतु संशोधित आगणन रू0 5,88,10,319.00 उपलब्ध कराया गया है जिसमें से पूर्व स्वीकृत लागत रू0 2,84,31,099.00 को कम करते हुए रू0 3,03,79,220.00 (रूपए तीन करोड़ तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) की मांग की गयी है।

3- अवगत कराना है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास/विस्तारीकरण हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निम्नवत् धनराशि स्वीकृति/निर्गत की गई है:-

क्र0सं0	**शासनादेश संख्या व दिनांक**	**स्वीकृत/निर्गत धनराशि**
क. <u>भूमि क्रय</u>		
1	शासनादेश संख्या-102/2023/1326/छप्पन-2023-34/1994 दिनांक 22 सितम्बर, 2023 द्वारा 356.5 एकड़ भूमि क्रय के लिए कुल अनुमानित धनराशि रू0 10,18,25,00,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष	रू0 5,50,00,00,000/-
2	शासनादेश संख्या-22/2024/209/छप्पन-2024-34/1994 दिनांक 16 फरवरी, 2024 कुल अनुमानित धनराशि रू0 10,18,25,00,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष (द्वितीय किश्त)	रू0 3,25,00,00,000/-
3	शासनादेश संख्या-97/2024/1653/छप्पन-2024-34/1994 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 द्वारा आबादी श्रेणी-6(2) की 37571.9910 वर्ग मीटर (9.284 एकड़) भूमि के क्रय हेतु प्रतिकर की धनराशि	रू0 48,49,43,383/-
4	शासनादेश संख्या-15/2025/47/छप्पन-2025-34/1994 दिनांक 29 जनवरी, 2025 द्वारा पूर्व प्रस्ताव में छूटे हुए गाटों तथा त्रुटिवश अकृषक भूमि का कृषि दर से आकलन किए जाने के कारण 2.883 हे0 भूमि क्रय किए जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि	रू0 20,48,09,128/-
ख. <u>अन्य शासनादेश</u>		
1	शासनादेश संख्या-91/2024/1554/छप्पन-2024-34/1994टी0 सी0-1 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 द्वारा रनवे विस्तार हेतु NH-31 (पुराना NH-56) के रिएलाइनमेन्ट एवं रनवे के नीचे प्रस्तावित अण्डरपास के निर्माण हेतु 10.5549 हे0 भूमि का अधिग्रहण	रू0 1,13,93,51,288/-
2	शासनादेश संख्या-103/2024/1863/छप्पन-2024-34/1994टी0 सी0-1 दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 द्वारा नए टर्मिनल भवन एवं संबंधी कार्यों के निर्माण में आ रही विद्युत तार, खम्भों को हटाने हेतु	रू0 2,84,31,099/-
3	शासनादेश संख्या-24/2025/161/छप्पन-2025-34/1994 टी0सी0-1 दिनांक 21 फरवरी, 2025 द्वारा विस्तारीकरण के कारण विस्थापित होने वाली वन विभाग की परिसम्पत्तियों की धनराशि	रू0 3,98,27,006/-
4	शासनादेश संख्या-66/2025/821/छप्पन-2025-34/1994 दिनांक 24 जुलाई, 2025 द्वारा एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु कुल मूल्यांकित धनराशि का बतौर 25 प्रतिशत विनिमय शुल्क की धनराशि की स्वीकृति	रू0 3,79,09,750/-
कुल स्वीकृत धनराशि		रू0 10,68,52,71,654/-

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तारीकरण हेतु 33 के0वी0 हरिहर कोल्ड स्टोरेज लाइन की शिफ्टिंग हेतु रू0 3,03,79,220.00 (रूपए तीन करोड़ तीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाख उन्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ सम्पूर्ण धनराशि रू0 3,03,79,220.00 (रूपए तीन करोड़ तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,03,79,220.00 (रूपए तीन करोड़ तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-39-X-2026-27 दिनांक 13 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

संख्या-62/2026/764(1)/छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

5- जिलाधिकारी, वाराणसी को उनके उक्त पत्र दिनांक 11 जून, 2026 के सन्दर्भ में।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।

7- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-हरहुआ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।